



समाहरणालय - धनबाद

जिला भू-अर्जन शाखा

अधिसूचना संख्या- १४६/भू.अ०, धनबाद, दिनांक- २१.११.२०१७

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा-४ के प्रावधानों के तहत निरसा-जामताड़ा पथ के चौड़ीकरण हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत निरसा अंचल में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु M/s. AMCS, Ranchi को एस०आई०ए० दल के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतः निरसा-जामताड़ा पथ के चौड़ीकरण हेतु कुल रकवा १.१४ एकड़ भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है।

१- परियोजना का नाम :-

निरसा-जामताड़ा पथ के चौड़ीकरण।

२- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

निरसा-जामताड़ा पथ के चौड़ीकरण हेतु भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

१- अंचल निरसा मौजा- विशाल पहाड़ी, मौजा नं०- ३१ कुल प्लॉट- ०१, कुल रकवा १.१४ एकड़

३- एस०आई०ए० के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप निम्न प्रकार होगी :-

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस०आई०ए०) दल को झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, २०१५ के अध्याय-III के नियम-१० के अन्तर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी, मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :-

- (क) प्रस्तावित परियोजना जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी।
- (ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,
- (ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,
- (घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,
- (ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है, और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,
- (च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्य संक्रांत पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियम हो,
- (छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है,
- (ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है, तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,
- (झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,
- (ञ) घृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसम्पत्तियों,
- (ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षों में भूमि का उपयोग,

इसी प्रक्रिया के साथ-साथ रैयतों के भू-अर्जन के प्रस्ताव विमर्श की कार्रवाई की जानी है।



4- एस0आई0ए0 के लिए टाईमलाईन निम्न प्रकार होगी :-

- (क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना,
- (ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों को सूचीबद्ध करना,
- (ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) प्रतिवेदन एवं एस0आई0एम0पी0 पर रैयतों की सुनवाई ,
- (घ) एस0आई0ए0 एवं एस0आई0एम0पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना,
- (ङ) एस0आई0ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन,

कंडिका-4 (क) से (ङ) पर अंकित कार्यों का निष्पादन कार्यादेश प्राप्ति से.....14..... दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगे । उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी,

5- इस अवधि के दौरान प्रपीडन अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा ।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
धनबाद

अपर समाहर्ता
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद ।

ज्ञापांक- 988 / भू0अर्जन, धनबाद / दिनांक 21/11/2017

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद / अंचल अधिकारी, सोबिन्दपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।

वेब मैनेजर-सह-अपर समाहर्ता, (विधि व्यवस्था) धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना एन0आई0सी0, धनबाद के वेब-साईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय ।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
धनबाद

अपर समाहर्ता
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद ।